बनाम

यालय का नाम :—उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर

/202.......

त सं. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	18.6.25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। पूर्वादेश की पालना में पत्रावली दिनांक 16/7/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर	
	16.7.25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। पूर्वादेश की पालना में पत्रावली दिनांक 23/7/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जोबनेर जयपुर	
	23.7.25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी सं. 33 का तामील सम्मन मय डिलीवरी रिपोर्ट पेश। का.मि. रहे। तामील पूर्ण। अप्रार्थीगण को उपस्थिति हेतु अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 30/7/2025 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जोबनेर जयपुर	
	30/7/25	पत्रावली पेश हुई। वादी/प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित है पूर्व आदेशानुसार पत्रावली दि. 20/8/25 को पेश हो	
	20.8.25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उप०। अप्रार्थीगण को उपस्थिति हेतु न्यायहित में अंतिम अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 25/8/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जोबनेर जयपुर	
	25.8.25	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थीगण को उपस्थिति हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान करने के पश्चात भी उपस्थित नहीं आने के कारण	

अप्रार्थीगण के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। अधिवक्ता प्रार्थी के निवेदन पर बहस प्रार्थना पत्र एक पक्षीय सुनी गयी। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का ही दोहरान करते हुए निवेदन किया की अप्रार्थीगण को दौराने वाद मौका एवं राजस्व रिकार्ड की यथा स्थिति बनाएं रखने हेतु पाबंद फरमाया जावे। बहस अधिवक्ता प्रार्थी पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के अवलोकन से प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में निहीत है। यदि अप्रार्थीगण द्वारा दौराने वाद वादग्रस्त अराजी का अन्यत्र बेचान किया जाता है तो अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थी को ही होगी तथा वाद बाहुल्यता बढ़ने की स्थिति में असुविधा भी प्रार्थी को ही होगी। इस प्रकार प्रथम दृष्टया प्रकरण, अपूर्णीय क्षति एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी मे ही निहीत होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.A. स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी सं. 1लगा० 35 ता० फैसला वाद जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 41/1.4162, 43/0.9484, 40/1/1.5427 वाके ग्राम हिंगोनिया तह. जोबनेर के मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाएं रखे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नबंर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

Neh
खण्ड अधिकारी
जोबनेर